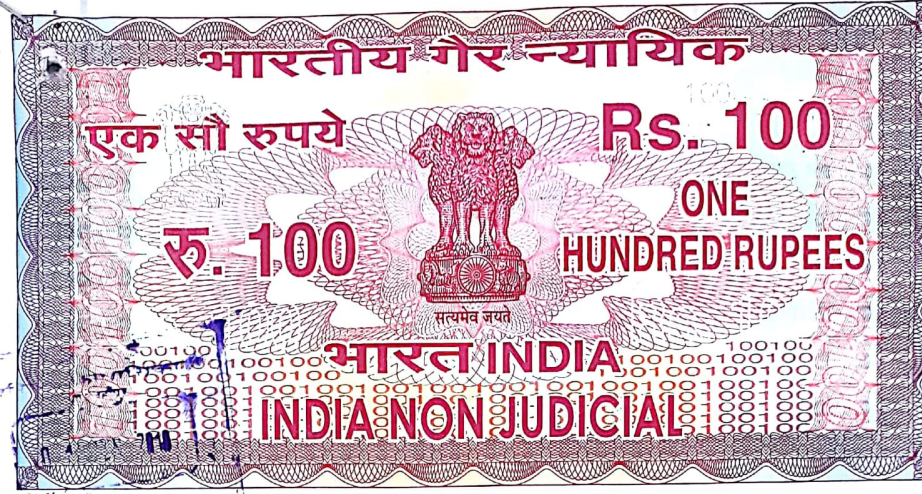




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EA 617539

अनुबंध पत्र

प्रथम पक्ष— मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव— जिला स्वास्थ्य समिति, शाहजहाँपुर।

द्वितीय पक्ष— मेसर्स, बालाजी ट्रेवल्स, लालबाग, सीतापुर।

यह अनुबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव—जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सहयोगात्मक पर्यवेक्षण वाहन के सम्बंध में आज दिनांक 27 जून, 2018 को जनपद शाहजहाँपुर में सम्पादित किया गया। इस अनुबंध की अवधि दिनांक 27 जून, 2018 से 31 मार्च, 2020 तक अथवा अग्रिम निविदा होने तक मान्य होगी।

1—सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष को वाहन का नाम, माडल, रजिस्ट्रेशन नं०, बीमा, फिटनेस, टैक्सी परमिट वाहन तथा वाहन चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स एवं अन्य सूचनायें उपलब्ध करायेगा।

2— द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति शाहजहाँपुर के नाम रु० 350000.00 की धरोहर राशि एफ०डी०आर० के रूप में जमा करनी होगी।

3— वाहनों के सफल संचालन हेतु वाहनों पर कार्य करने वाले वाहन चालक का नाम, पता तथा मोबाइल नम्बर जनपद एवं ब्लाक स्तरीय नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराने होंगे।

4— सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों की सूची निम्नवत् है:-

For-Balaji Travels
Partner

Supportive Supervision Vechile List District Shahjahanpur					
S.No.	Block Name	Vechile No	Model	Model No.	Permit No.
1	Banda	UP 34 T 8705	Bolero	10/9/2015	CC/STA/UP/2015/04563
2	Bhawalkheda	UP 34 T 8069	Bolero	16-01-2015	UP/32/102/AITP/2015/2396
3	Dadroul	UP 32 JN 9196	Tata Zest	12/1/2018	UP/32/AITP/2018/278
4	Jalalabad	UP 27 AA 8447	Omni	17-07-2015	UP/25/102/MCAB/2017/349
5	Jaitipur	UP 34 T 9549	Tavera	28-05-2016	CC/STA/UP/2016/02519
6	Kalan	UP 27 AT 0256	Omni	31-05-2017	CC/STA/UP/2017/03152
7	Kanth	UP 34 AT 2599	Bolero	12/6/2018	CC/STA/UP/2018/03873
8	Khudaganj	UP 34 FN 8652	Omni	12/4/2016	CC/STA/UP/2016/02148
9	Khutar	UP 32 FN 3392	Omni	22-09-2015	CC/STA/UP/2015/05395
10	Madnapur	UP 32 GN 4435	Omni	21-10-2016	UP/32/AITP/2016/303
11	Mirzapur	UP 34 T 9546	Omni	27-05-2016	CC/STA/UP/2016/02515
12	Nigohi	UP 34 T 8754	Omni	28-09-2015	CC/STA/UP/2015/04810
13	Powayan	UP 34 T 9267	Omni	29-02-2016	CC/STA/UP/2016/01113
14	Sindhoul	UP 34 T 9065	Omni	7/1/2016	CC/STA/2016/00173
15	Tilhar	UP 34 T 9382	Omni	6/4/2016	UP/STA/UP/2016/01697
16	District A	UP 34 T 8139	Wagor R	26-12-2015	CC/STA/UP/2015/06020
17	District B	UP 34 T 9733	Omni	10/8/2016	CC/STA/UP/2016/03813

For-Balaji Travels



5- दरों का अनुबन्ध समस्त करें सहित किया जा रहा है, समस्त करें का भुगतान द्वितीय पक्ष अर्थात् सेवा प्रदाता को करना होगा तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 की रिटर्न फाइल की छाया प्रति लेखा विभाग में निर्धारित अवधि के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।

6- द्वितीय पक्ष को मोटर वाहन अधिनियम तथा शासन द्वारा जारी नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा एवं इस सम्बन्ध में किसी भी नियम एवं शर्त का उल्लंघन होता है, तो द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा, प्रथम पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

7- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण (जी0पी0आर0एस0डाटा एवं लागबुक सहित) के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा। परमिट वाहन पर जी0पी0आर0एस0 सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा।

8- वाहन तथा वाहन चालक को हटाने के लिए द्वितीय पक्ष को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर0सी0एच0/नोडल अधिकारी, शाहजहाँपुर को सूचित करना होगा तथा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही हटाया जा सकता है।

9- द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं को समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

10- अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल शाहजहाँपुर न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

11- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।

12- द्वितीय पक्ष को राज्य स्वास्थ्य समिति एवं जिला स्वास्थ्य समिति से समय-समय पर प्राप्त दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

13- वाहन से सम्बन्धित चालकों का वेतन, ईंधन एवं अन्य संचालन व्यय द्वितीय पक्ष को वहन करने होंगे। प्रथम पक्ष द्वारा मात्र रू0 29185.00 (रूपये उन्तिस हजार एक सौ पच्चासी मात्र) प्रतिमाह प्रतिवाहन की दर से भुगतान किया जायेगा।

14- द्वितीय पक्ष को जनपदीय नोडल अधिकारी एवं प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय सामु0/प्रा0 स्वा0केन्द्र के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।

15- द्वितीय पक्ष को प्रत्येक वाहन की लागबुक एवं जी0पी0आर0एस0डाटा तथा अन्य अभिलेख प्रति कार्य दिवस में पूर्ण करने होंगे जिसे भ्रमण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से सत्यापित कराना होगा।

16- द्वितीय पक्ष टैक्सी परमिट वाहन सेडान, कार/जीप जैसे वाहन उपलब्ध करायेगा, जो वर्ष 2015 के पूर्व के निर्मित नहीं होने चाहिए। (04 व्यक्तियों के बैठने हेतु एवं दवाईयों की किट मॉड्यूल रखने की उपयुक्त जगह) होनी चाहिए।

For-Balaji Treas

Partner

17- निविदा स्वीकृति के पूर्व/उपरान्त यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि असत्य प्रपत्र लगाकर निविदा प्राप्त की गयी है तो तत्काल प्रभाव से निविदा निरस्त करते हुए जमानत राशि को शासन के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा तथा कृत कार्य हेतु किसी भी दायित्व का भुगतान अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

18- यदि निर्धारित समय सीमा तथा निर्धारित स्थल पर वाहनों की आपूर्ति सम्बन्धित फर्म द्वारा नहीं की जाती है तो सम्बन्धित फर्म द्वारा अनुबन्ध के समय जमा की गयी सिव्योरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी।

19- फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये वाहनों का सम्बन्धित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/सम्बन्धित नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन पश्चात ही भुगतान किया जायेगा।

20- यदि थर्ड पार्टी सत्यापन/विभागीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन के दौरान यह सिद्ध होता है कि सम्बन्धित फर्म द्वारा टेण्डर की शर्तों, शासनादेशों व राज्य स्तर से निर्गत दिशा-निर्देशों के विपरीत कार्य कराया गया है या किया जा रहा है तो सम्बन्धित फर्म से अनुबन्ध उसी दिन से निरस्त समझा जायेगा तथा उससे पूर्व किये गये कार्यों/कराये गये कार्यों का समस्त देय जब्त कर लिया जायेगा।

21- वाहन कम से कम 8 घण्टे प्रतिदिन तथा महीने में कम से कम 25 दिन चलाना अनिवार्य है।

22- मीटर की रीडिंग गैराज से गैराज तक एवं गैराज से कार्य स्थल तक अधिकतम 20 कि.मी. अतिरिक्त मान्य होगी। मानीटरिंग वाहन महीने में कम से कम 1500 कि.मी. चलाना अनिवार्य होगा। यदि वाहन महीने में 1500 कि.मी. प्रतिमाह से कम चलती है तो नियमानुसार अनुपातिक धनराशि की कटौती की जायेगी।

23- यदि आउट आफ स्टेशन वाहन को ले जाने की आवश्यकता है तो वाहन का उपयोग किया जायेगा।

24- वाहन में सीट कवर सफेद रंग के उपलब्ध कराने होंगे।

25- वाहन चालक की उचित यूनीफार्म होनी चाहिए।

26- यदि वाहन मरम्मत अथवा दुर्घटना की स्थिति में है तो सेवा प्रदाता को तत्काल वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। यदि सेवा प्रदाता द्वारा समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो प्रतिदिन ₹0 1000 की धनराशि की कटौती निविदित दर से की जायेगी एवं वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था हेतु किये गये व्ययों की भी कटौती की जायेगी।

27- सेवा प्रदाता द्वारा वाहन में ईंधन आदि की आपूर्ति स्वयं करानी होगी, सम्बन्धित अधिकारी से ईंधन के लिए नकदी की माँग नहीं करेगा।

28- सेवा प्रदाता द्वारा अनुबन्ध के पूर्व निरीक्षण हेतु वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे।

स्थान - शाहजोपुर।

दिनांक- 27/6/18

हस्ताक्षरChief Medical Officer.....
Shahjohpur

हस्ताक्षर- Balraj Traveals.....
(प्रथम पक्ष)
(द्वितीय पक्ष)
Partner

गवाह

1.....ACMO (HCH)
Shahjohpur

2.....
K. K. Sharma